संख्या-60/2023/001-1003-2493669-2023-12-5099-24-2022

प्रेषक,

अमर चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2023**

विषय:- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सोलर/714/पी0एम0 कुसुम/2022-23, दिनांक 17.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 8903-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 21077.00 लाख (रूपया दो सौ दस करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष रू० 4619.74 लाख **(रूपये छियालीस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)** राज्यांश की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
2. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसीं मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
6. ऑकडो की शुद्वता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं क्रय के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष) 2401001138903 :प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान) पी.एम .कुसुम (योजना (

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना	08 कार्यालय व्यय	2,00, 000 (रूपये दो लाख मात्र)
2	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00, 000 (रूपये पांच लाख मात्र)
3	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना	27 सब्सिडी	46,07,74, 000 (रूपये छियालीस करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार मात्र)
4	011	2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना	42 अन्य व्यय	5,00, 000 (रूपये दो लाख मात्र)
	कुल			**46,19,74, 000** **(रूपये छियालीस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	46,19,74, 000 **(रूपये छियालीस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-149-X-2023-24-दिनांक:1-9-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-60/2023/001-1003-2493669-2023-12-5099-24-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) / नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।